

(9)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय - आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 के नियम 24 (2) (ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषानुसार द्वितीय श्रेणी एवं उच्च पदों के निम्नलिखित शारीरिक शिक्षा अध्यापकों का वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध ग्रुप-जी ग्रेड पे-13 में पे-बैंड पी.बी. 3 (रनिंग पे-बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 5400) में उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) एवं समकक्ष पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता से चयनित किये जाने के फलस्वरूप पदोन्नत कर वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यभार सम्भालने की तिथि से उप जिला शिक्षा अधिकारी (शारीरिक शिक्षा) एवं समकक्ष पद पर पदोन्नत किया जाता है

क्र.सं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी	जन्मतिथि	वर्ग	पु/ म	चयन का प्रकार
1	46	83-84	गुलजारी लाल	12-07-1958		M	वरिष्ठता सयोग्यता
2	49	83-84	बिशन सिंह भाटी	05-07-1959		M	वरिष्ठता सयोग्यता
3	63	83-84	बलवंत राम	22-06-1967		M	वरिष्ठता सयोग्यता
4	68	A 83-84	अशोक कुमार मंगल	04-03-1959		M	वरिष्ठता सयोग्यता
5	69	83-84	शराफत हुसैन	13-02-1958		M	वरिष्ठता सयोग्यता
6	81	83-84	धीसालाल जाट	15-06-1969		M	वरिष्ठता सयोग्यता
7	86	83-84	अशोक कुमार	25-09-1960		M	वरिष्ठता सयोग्यता
8	87	83-84	रामावतार	30-03-1960		M	वरिष्ठता सयोग्यता
9	15	84-85	साधना सक्सैना	12-05-1959		F	वरिष्ठता सयोग्यता
10	15	A 84-85	पदमा गुर्जर	10-12-1958		F	वरिष्ठता सयोग्यता
11	30	88-89	मोतीलाल	20-05-1960	SC	M	वरिष्ठता सयोग्यता
12	16	2 91-92	गोपाल लाल वर्मा	01-07-1960	SC	M	वरिष्ठता सयोग्यता
13	18	92-93	विजय सिंह मीणा	28-07-1958	ST	M	वरिष्ठता सयोग्यता

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी कार्मिक जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, कार्मिक उक्त वरिष्ठता वर्ष एवं क्रमांक से संबंधित नहीं हो, पूर्व से ही उच्च पद धारित हो अथवा पदोन्नत पद की नियमानुसार निर्धारित योग्यता नहीं होने पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। सेवा निवृत्त अधिकारियों को नियमानुसार परिलाभ देय होंगे। अन्य के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

(नथमल डिडेल)

आई. ए. एस.


निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
6. समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक- 1/।। शिक्षा विभाग
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट हेतु
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/संस्था-सी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग
10. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
11. प्रभारी संस्था-बी-1 प्रभाग को उक्तानुसार पदस्थापन हेतु


(पूजा कपिला)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर